रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1714] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2013/आषाढ़ 31, 1935
No. 1714] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2013/ASHADA 31, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

का.आ. 2226(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा केरल राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–47 के 182.040 कि.मी. से 316.000 कि.मी. तक और 332.600 कि.मी. से 349.000 कि.मी. तक (तमिलनाडु/केरल सीमा–कोचि सेक्शन) का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''प्राधिकरण'' संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 30.06.2010 को प्रस्तुत की गई बोली के सफल बोलीदाता, मैसर्स के.एन.आर. वलयार टोलवेज प्राईवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय के एन आर हाउस, चौथा तल, प्लाट नम्बर 114, फेज–I, कवूरी हिल्स, हैदराबाद–500033, आन्ध्र प्रदेश, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''रियायतग्राही'' संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग–47 (नया रारा–544) पर 182.250 किमी (डिजाइन चैनेज 182.250) से 240.000 किमी. (डिजाइन चैनेज से 236.135 किमी.) तक के वलयार – वड़क्कनचेरी खण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''उक्त खण्ड'' संदर्भित किया गया है) का चार लेन के विभाजित सड़क मार्ग में विकास करने और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए 17.09.2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त करार संदर्भित किया गया है),

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''नियम'' सदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातयात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क खण्ड की निवल लंबाई 54.000 कि.मी. हेतु चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत एवं सग्रहीत किया जायेगा और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण

से समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, जो भी बाद में हो, समाप्ति की तारीख तक, जैसा की करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क को संग्रहीत और प्रतिधारित करने के हेतु प्राधिकृत करती है :

सारणी–1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
भारी संनिर्माण मशीनरी (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (तीन से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

टिप्पणियां :–

1. नीचे उद्ग्रहीत एवं सग्रहीत, शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर, ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा :

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई, (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
रा रा – 47 का 190.000 कि.मी. (डिजाइन चैनेज 189.400 कि.मी.) (जिला पालक्कड चुल्लिमाडा हेमलेट गांव–पुडुस्सेरी ईस्ट के पास)	54.000

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यि प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013–14 के लिए मासिक पास की दर 215.000 रुपए (दो सौ पन्द्रह रुपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात् :

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की रकम का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक माह

4. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनो के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक की ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा ना दिया जाये।

5. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड़, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट, परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

6. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोक्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जायेगा।

7. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना राजमार्ग परियोजना की लंबाई के पूरे कर लिए भाग के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी। प्राधिकरण द्वारा उसे रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जायगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के

IndiaCode

प्रावधानों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जायेगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क के पिछले संशोधन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर कोई सशोधन नहीं किया जायेगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/745/सीओ/12—13/ जी.सी. पलक्कड (182.250—240.00) बीओटी)]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2013

S.O. 2226(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465 (E) dated the 26th April, 2002 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 182.040 to kilometer 316.000 and kilometer 332.600 to kilometer 349.000 (Tamil Nadu/Kerala Border – Kochi section) of National Highway No. 47 in the State of Kerala to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the provision of section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement on 17.09.2012 (hereinafter referred to as said agreement) with M/s KNR Walayar Tollways Private Limited, having its registered office at KNR House, 4th Floor, Plot No. 114, Phase – I, Kavuri Hills, Hyderabad – 500033, Andhra Pradesh, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), the successful bidder for bids submitted on 30.06.2010 for the development of Walayar – Vadakkanchery Section from Km 182.250 (Design Chainage 182.250) to Km 240.000 (Design Chainage Km 236.135) on National Highway No. 47 (New NH No. 544) (hereinafter referred to as the "said section") to four lane divided carriageway and operate and maintenance of the said section;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 54.000 Kms for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the date of commercial operation (COD) declared by the Authority and on getting work Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

TABLE I

Type of Vehicle	**Base rate of fee per km for base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (Three to Six Axles)	3.45
Oversized Vehicles (Seven or more Axles)	4.20

Notes : —

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza :

Location of Toll Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 190.000 (Design Chainage Km 189.400) of NH-47 (near Chullimada Hamlet, Village - Pudussery East, District - Palakkad)	54.000

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred Fifteen Only) for the year 2013-14 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

3. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely :—

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys.	Fifty or more	One month from date of payment

IndiaCode

4. Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

5. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

6. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

7. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F. No. NHAI/13013/745/CO/12-13/GC Palakkad (182.250 – 240.00) BOT]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054